न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 36 / 2020 / 136 एलआरएक्ट

1. विनोद कंवर पत्नि मुरारदान जाति चारण निवासीनी रामपुरा (दुधवा) तह० दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीया

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 22.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 558 लगायत 569, ख0न0 737, 779, 780, 781, 783, 787 किता 18 कुल रकबा 12.29 है0 एवं खं0न0 546 ता 549, 555, 556, 557 570 किता 8 कुल रकबा 8.66 है0 तथा खं0न0 760, 764 किता 2 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का दुधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया का हक हिस्सा 1/40 कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थीया के उक्त हक हिस्से की खातेदारी गलत तरीके से मंगेज कंवर पत्नि मुरारदान के नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम विनोद कंवर पत्नि मुरारदान है। उसके समस्त पहचान के दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक आदि में अन्य समस्त रिकार्ड में विनोद कंवर पत्नि मुरारदान ही दर्ज है। वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का दुधवा की तन में अन्य कृषि भूमियां ख0न0. 782, 784, 785, 786, 788 किता 5 कुल रकबा 1.88 है0 अवस्थित है जिसमें प्रार्थीया का हक हिस्सा 1/80 कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है एवं उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थीया का सही व वास्तविक रूप से विनोद कंवर पत्नि मुरारदान ही दर्ज है परन्तु अन्य आवेदन में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थीया का नाम विनोद कंवर के स्थान पर गलत रूप से मंगेज कंवर दर्ज है। जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया के पति मुरारदान पुत्र मंगेजदान का स्वर्गवास अर्सा करीब 40 वर्ष पहले ही चुका है एवं मुरारदान की विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत दुधवा द्वारा भरते समय भी प्रार्थीया का नाम सही रूप से विनोद कंवर ही लिखा गया था परन्तु इसके बाद भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों के अपनी भूल व लापरवाही एवं संहवन से प्रार्थीया का नाम आवेदन वर्णित कृषि भूमियों में

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

विनोद कंवर के स्थान पर गलत रूप से मंगेज कंवर दर्ज कर दिया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वाद कारण अरसा करीब 8–10 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने व उच्चाधिकारियों से आदेश लेकर अपनी बात कहने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 558 लगायत 569, ख0न0 737, 779, 780, 781, 783, 787 किता 18 कुल रकबा 12.29 है0 एवं खं0न0 546 ता 549, 555, 556, 557 570 किता 8 कुल रकबा 8.66 है0 तथा खं0न0 760, 764 किता 2 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का दुधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीया नाम मंगेज कंवर पत्नि मुरारदान को दुरूस्त कर इसके स्थान पर सही व वास्तविक नाम विनोद कंवर पत्नि मुरारदान संशोधित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थीया की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थीया नाम मंगेज कंवर पत्नि मुरारदान को दुरूस्त कर इसके स्थान पर सही व वास्तविक नाम विनोद कंवर पत्नि मुरारदान संशोधित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि विनोद कंवर पत्नि मुरारदान के खाते व पुराने राजस्व रिकार्ड की जांच व मिलान किया गया जसिके अनुसार नां0 सं0 361 दिनांक 15.5.1981 को मंगेजदान का नामा0 विरासत का हुआ जिसमें आवेदिता का नाम विनोदकंवर बेवा मुरारदान दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 में भी आवेदिता का नाम विनोद कंवर पत्नि मुरारदान ही दर्ज है उसके बाद की जमाबंदियों में आवेदिका का नाम मंगेजकंवर बेवा मुरारदान दर्ज हो गया तथा आवेदिका द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तोज राशन कार्ड पहचान कार्ड आधार कार्ड आदि में विनोद कंवर दर्ज है आवेदिता का नाम मंगेजकुवर के स्थान विनोदकंवर किया जाना उचित है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 558 लगायत 569, ख0न0 737, 779, 780, 781, 783, 787 किता 18 कुल रकबा 12.29 है0 एवं खं0न0 546 ता 549, 555, 556, 557 570 किता 8 कुल रकबा 8.66 है0**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

तथा ख0न0 760, 764 किता 2 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का दुधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीया नाम मंगेज कंवर पत्नि मुरारदान को दुरूस्त कर इसके स्थान पर सही व वास्तविक नाम मंगेज कंवर उर्फ विनोद कंवर पत्नि मुरारदान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ